न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 479/2021

मु0अ0सं0 683/2021

सरकार बनाम धीरज सैनी

अन्तर्गत धारा : 376 भा0दं0सं0 ,

3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हापुड नगर

जिला : हापुड़

UPHP010048642021

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त धीरज सैनी पर यह आरोप लगाता हूॅ कि :–

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 26.07.2021 से लगभग 2 वर्ष पूर्व से अप्रैल 2021 तक के समयान्तराल में प्रीत विहार फेस 2 अच्छेजा पीर के सामने बहद थाना हापुड नगर जिला हापुड में पीडिता को विवाह का झांसा देकर व उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार कारित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया, जो धारा 376 भा0दं0सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने पीडिता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है, विवाह का झांसा देकर व उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार कारित कर ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 11.05.2022
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 11.05.2022